न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेश कुमार मालव
आर.ए.एस.

मिसल संख्या:	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
137 / अपील / 2017	11.04.2017	24.04.2018

पृथ्वी सिंह आ0 प्रभूलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भेरूपुरा आंतरी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राजस्थान)

– अपीलांट

– बनाम –

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार दबलाना जिला बून्दी (राज0)

– रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 29.11.2016
नायब तहसीलदार, दबलाना
अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम
अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :–
अपीलांट की ओर से – श्री के. सी. नामधराणी, अभिभाषक।
रेस्पोडेन्ट की ओर से – पेरोकार सरकार

–: निर्णय :–

यह अपील नायब तहसीलदार, दबलाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.11.2016 से अप्रसन्न होकर अपीलान्ट ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 599 रकबा 05 बीघा चरागाह वाके ग्राम भैरूपुरा आंतरी तहसील हिण्डोली का अतिचारी मानते हुये धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत बेदखली, फसल जप्ती, पैनाल्टी 250/– रूपये एवं 90 दिन सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट व पेरोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वस्तु

स्थिति व विधान के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट के संबंध में द्वितीय अतिचार की कोई साक्ष्य नहीं ली गई है। अपीलान्ट को विधि के प्रावधानों के अनुसार द्वितीय अतिचार का नोटिस विधि अनुरूप नहीं दिया गया है। अपीलान्ट को जो नोटिस दिया गया है उसकी अपीलान्ट की तामील नहीं हुई है इसलिये अपीलान्ट अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय में रखने में असमर्थ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व कोई साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं लिये गये है। अपीलान्ट को शिकायतकर्ता को तर्क प्रस्तुत करने व अपने बचाव पक्ष में बहस का अवसर नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित नहीं किया है जो निर्णय की परिभाष में नहीं आता है। अपीलान्ट का विवादित भूमि पर कब्जा किस प्रकार था। निर्णय में अंकित नहीं है। अपीलान्ट को केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर दण्डित किया गया है जो सर्वथा निराधार है। अपीलान्ट का किसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं है। अपीलान्ट ने विवादित भूमि से कब्जा छोड़ दिया है एवं जुर्माना राशि भी जमा करा दी गई है। अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.डी. 2001 पेज 401 एवं रिविजन नं. 7081/2014 निर्णय दिनांक 16.12.2014 कन्हैया लाल/सरकार की नजीरे पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को पश्चातवर्ती साबित किये बिना एवं अतिक्रमित भूमि से पूर्व में मौके से बेदखल किये बिना सजा के दण्ड से दण्डित नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सजा के दण्ड से दण्डित निर्णय पारित करने से पूर्व पश्चातवर्ती अतिक्रमी व मौके से बेदखल किये जाने बाबत् कोई साक्ष्य व रिकॉर्ड नहीं लिया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 29.11.2016 निरस्त फरमाया जावे।

पेरोकार–सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्ट ने राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है तथा अपीलान्ट को सुनवाई का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवसर दिया गया है। अपीलान्ट को गत वर्ष भी अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया गया था जिसका विवरण पटवारी बयान व रिपोर्ट पटवारी व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकन है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है तथा बार–बार अतिक्रमण करने का आदि है। अपीलान्ट ने अतिक्रमण भूमि से कब्जा नहीं छोड़ा है, कब्जा छोड़ने बाबत् कोई साक्ष्य, पटवारी रिपोर्ट आदि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया है। पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह चरागाह भूमि है जिस पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण व कब्जा करने का अधिकार नहीं है।

अपीलान्ट ने यह भी निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्ट को पश्चातवर्ती प्रमाणित करने के सम्बन्ध में पूर्व निर्णय की व मौके से बेदखल करने बाबत् कोई साक्ष्य नहीं है। बिना दस्तावेज व साक्ष्य के अपीलान्ट को पश्चातवर्ती नहीं माना जा सकता। अपीलान्ट को बिना पश्चातवर्ती साबित किये सिविल कारावास की सजा से दण्डित नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में गत वर्ष अपीलान्ट को बेदखल किये गये निर्णय का अंकन अपीलाधीन निर्णय व पटवारी बयान व रिपोर्ट में अंकित है तथा गत वर्ष अपीलान्ट को अतिक्रमित भूमि से बेदखल किये गये निर्णय की प्रति संलग्न है। जिससे अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना प्रमाणित होता है तथा अपीलान्ट विवादित भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदि है तथा बहुत अधिक चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 24.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/4/18

(नरेश कुमार मालव R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)